240

2613-I-16

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६ पुनराविलोकन (रिव्यू)

महेश प्रसाद पुत्र जगन्नाथ वैश्य, निवासी ग्राम पलैरा हाल झांसी (उत्तरप्रदेश) ।

------ प्रार्थी

विरुध्द

१- रामलाल पुत्र जगन्नाथ वैश्य,

२- भगवान दास पुत्र जगन्नाथ वैश्य,

निवासीगण ग्राम पलैरा तहसील पलैरा, जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर (पीठासीन अधिकारी माननीय श्री एम०के० सिंह, सदस्य) द्वारा प्र०क्र० २२११-एक/१६ निगरानी में पारित आदेश दिनांक १६-७-१६ के विरुध्द पुनराविलोकन आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,१९५९।

श्रीमान् जी,

पुनराविलोकन आवेदनपत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

१- यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी भूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

२- यह कि, विवादित आदेश भू-राजस्व संहिता की धारा ५० के प्रावधानों पर विचार किये बिना, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है, जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है । यह भूल ऐसी भूल है जो अभिलेख से प्रत्यक्षदर्शी है ।

३- यह कि, अभिलेख आहूत किये बिना तथा उनका परीक्षण किये बिना तथ्यों के सम्बन्ध में पारित विवादित आदेश निरस्ती

क्रमशः--२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नाविलोकन 2613/एक/2016 जिला–टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.1.17	यह पुर्नाविलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 2211–एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 रामलाल द्वारा तहसीलदार पलेरा के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर बंटवारे की मांग की गयी थी। और तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ–27/2011–12 पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 04.09.2012 से बंटवारा आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक महेश प्रसाद द्वारा प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ के समक्ष प्रकरण क्रमांक 100/2012–13 प्रस्तुत की गयी थी जो पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 से स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2012 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 रामलाल द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 2211/एक/2016 प्रस्तुत की गयी थी। जो आदेश दिनांक 19.07.2016 से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 निरस्त किया गया। इस आदेश	

के विरूद्व आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष यह पुर्नविलोकन प्रस्तुत किया है।

3- प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि उपरोक्त प्रकरण में जो आदेश इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 19.07.2016 को पारित किया है उसमें आवेदक को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जो अभिलेख से दिखने वाली प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है। ऐसी स्थिति में इस न्यायाल द्वारा पूर्व आदेश संशोधन योग्य है।

4- अभिभाषक द्वारा अपने तर्को यह भी बताया कि वर्तमान प्रकरण में जो आदेश पारित किया गया है उसमें अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं बुलाया गया। जबकि निगरानी प्रकरण में अभिलेख बुलाया जाना तथा उसकी जॉच किया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में जो आदेश अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा पारित किया गया है वह स्पष्ट रूप से अपील योग्य आदेश था। अतः अपील योग्य आदेश के विरूद्व निगरानी वर्जित है। उपरोक्त कानूनी तत्थात्मक प्रश्न पर विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है, अतः इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 19.07.2016 निरस्त किये जाने एवं निगरानी प्रकरण क्रमांक 2211/एक/2016 को अभिलेख पर लिया जाकर निगरानी प्रकरण का निराकरण गुण दोषो किये जाने का निवेदन किया गया।

5- अनावेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जो आदेश दिनांक 19.07.2016 को पारित किया है, उसमें अभिलेख से दर्शित कोई प्रत्यक्ष दर्शी त्रुटि अथवा भूल नहीं है। ऐसी स्थिति

	में निगरानी प्रकरण को नंबर पर लिये जाने एवं गुण दोषो पर आदेश पारित किये जाने का प्रश्न ही नही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान पुर्नविलोकन निरस्त किये जाने एवं निगरानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया। 6– उभयपक्षो द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो तथा इस न्यायालय के मूल प्रकरण क्रमांक 2211/एक/2016 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा जो निगरानी दिनांक 04.07.2016 प्रस्तुत की गयी थी उसमे तर्क दिनांक 05.07.2016 को श्रवण किये गये है और दिनांक 19.07.2016 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण के आवेदक महेश प्रसाद को सूचना पत्र दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है। और न ही ऐसा कोई सूचना पत्र जारी ही किया गया है, यह अभिलेख से दर्शित स्पष्ट भूल है। ऐसी स्थिति में आवेदक महेश प्रसाद को सूचना पत्र दिये बिना जो आदेश इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2016 को पारित किया है, स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 निरस्त किया जाकर मूल प्रकरण क्रमांक 2211/एक/2016 निगरानी को नं. पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है इसी निर्देश के साथ वर्तमान पुर्नविलोकन का निराकरण किया जाता है। सदस्य	